खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय सहायता

402 : **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग को क्रमश: 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के वर्षों के दौरान कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विस्तार और सुधार करने के लिए किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 1993–94 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने कुटीर उद्योग स्थापित किए गए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :–

वर्ष	योजनागत	गैर-योजनागत
	(रु. करोड़ में)	
1991–92	193.00	213.28
1992–93	193.00	161.00
1993–94	202.00	325.94

(ग) के० वा० आई० सी० ने सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग सारे देश में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए किया है।

(घ) वर्ष 1991–92, 1992-93 और 1993–94 के दौरान कारीगरों/कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :–

(लाख व्यक्ति)

वर्ष	रोजगार
1991–92	50.16
1992–93	52.50
1993–94	53.28

वित्तीय सहायता उपलब्ध न होने के कारण लघुउद्योगों का रुग्ण होना

403 **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 1994 के दैनिक "ट्रिब्यून" में "वर्किंग कैपीटल प्रॉब्लमस ऑफ एस एस आईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में लघु उद्योगों में बढ़ती रुग्णता का प्रमुख कारण उन्हें समय पर समुचित वित्तीय सहायता का न मिल पाना है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में रुग्णता विशेष रूप से लघु उद्योगों में रुग्णता बढ़ने के क्या कारण हैं ; और इस प्रकार से प्रभावित उद्योगों के प्रतिशत का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

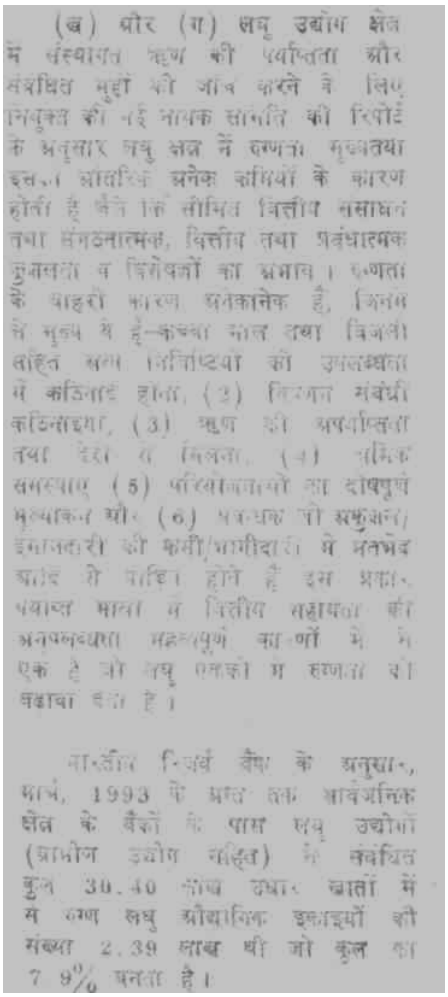

(ख) और (ग) लघु उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई नायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार लघु क्षेत्र में वृद्धता मुख्यतया इस...। अतिरिक्त अनेक कमियों के कारण होती है जैसे कि सीमित वित्तीय संसाधन तथा संगठनात्मक, वित्तीय तथा प्रबंधात्मक कुशलता व विशेषज्ञों का अभाव। वृद्धता के बाहरी कारण अनेकानेक है, जिनमें से मुख्य ये हैं–कच्चा माल तथा बिजली सहित अन्य सेवाओं की उपलब्धता में कठिनाई होना, (2) विपणन संबंधी कठिनाइयां, (3) ऋण की अपर्याप्तता तथा देरी से मिलना, (4) श्रमिक समस्याएं (5) परिवेशगत्तों का दोषपूर्ण मूल्यांकन और (6) पक्षकार जो सकुशल/ इंजीनियरी की फर्मों/भागीदारी में मतभेद आदि से ग्रसित होते हैं इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो लघु उद्योग की वृद्धता को बढ़ावा देता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्च, 1993 के अंत तक वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंकों के पास लघु उद्योगों (आमीण उद्योग सहित) में संबंधित कुल 36.40 लाख उधार खातों में से वृद्ध लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2.39 लाख थी जो कुल का 7.9% बनता है।

Purchase from State Government

404. SHRI VAYALAR RAVI; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give no preference to the public sector industries under the State Gov. ernmente in the matter of purchase for the Central Government requirements; and

iiM if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OP STATE IN THI-MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAJfl): (a) and (b) The policy on purchase preforance announced by the Central Govem- allows purchase preference to the Central Government public enter prises only when they deal with an other Central Governnent enterprise* or a Central Government Depart- Ind Bed by the Cent- ral Government fot implementation *hy* Central Government public' enterprises cannot be ari'lied no StaLe Government enterprises.

Inordinate delay in disposal of oases in Courts

40$.. PROP. VIJAY KUMAR MAL~ HGTP. V i the PRIME MINISTER be pleased to state:

fa) whether the Chief Justice *fit* India has expre[r];sesd anxiety and un-happiness over the inordinate delay in the disposal of cases in the courts including the tribunals and desired to bring about improvement in the dis. posal therein;

(b) if Btf, the sttps Government hsvc 'taken or propose to take in the

"[r]i

(r) whether Government are not giving the benefit of the judgment of the Supreme Court given in any one case to other similar cases,

(d) if so the reasons therefor;

(e) the steps taken to ensur[e] the application of th[e] judgements in all such other similar cases to bring down the number of cases pending in the ccourts;

(f) whether there is any proposal to also advis[e] [tn]e Supreme Court to invariably state in their judgements if thai judgement ig to apply in other similar cases o obviate any doubt; and

(g) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER, OP STATE IN THE MINISTRY OP LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ:): (a) and (b) In order t[0] consider the problem of arrears of cases In Courts and find out ways